

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(997)/2018/


दिनांक:-

संशोधित आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-20/म0स्वा0का0/997/2016/1551 दिनांक 28.10.2016 द्वारा श्रीमती गायत्री जाटोलिया, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (हाल जीएनएम प्रशिक्षणार्थी) अधीन खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, शाहपुरा (भीलवाड़ा) को स्वीकृत अध्ययन अवकाश में निम्नानुसार संशोधन किया जाकर अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

पूर्व में स्वीकृत अवकाश अवधि	संशोधित अवकाश अवधि
1. दिनांक 18.10.2015 से 30.09.2016 तक 349 दिवस का अवैतनिक अवकाश।	1. दिनांक 18.10.2015 से 31.03.2016 तक 165 दिवस का असाधारण अवकाश। 2. दिनांक 11.05.2016 से 10.11.2016 तक 184 दिवस का असाधारण अवकाश।


निदेशालय के आदेश दिनांक 28.10.2016 में अंकित शेष अवकाश अवधि यथावत रहेगी।


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर
दिनांक:- 28/02/18

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(997)/2018/427

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा।
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, शाहपुरा (भीलवाड़ा)।
3. अधीक्षक, एजी हॉस्पिटल, अजमेर।
4. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर